



20 January, 2024

अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण का उप-वर्गीकरण

संदर्भ: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ अगले सप्ताह अनुसूचित जाति (एससी) के बीच उप-वर्गीकरण पर सुनवाई शुरू करेगी।

➤ पंजाब की 1975 अधिसूचना: प्रारंभिक उप-वर्गीकरण

- पंजाब सरकार ने अपने 25% अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित किया है।
- आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण बाल्मीकि एवं मजहबी सिख समुदाय को प्रथम वरीयता दी गई है।
- हालांकि इस अधिमन्य व्यवहार से शेष अनुसूचित जाति समुदायों को कोई लाभ नहीं है।

➤ कानूनी चुनौती: आंध्र प्रदेश के वर्ष 2000 के कानून का उल्लंघन:

- वर्ष 2004 की संविधान पीठ (ई वी चिन्नेया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य) ने आंध्र प्रदेश के कानून को समानता के अधिकार का उल्लंघन माना था।
- इसमें अनुसूचित जाति वाली सूची की एकरूपता पर जोर दिया गया ताकि राज्यों को उप-वर्गीकरण के माध्यम से इस सूची में गड़बड़ी करने से रोका जा सके।

➤ उच्च न्यायालय का निर्णय: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वर्ष 1975 की अधिसूचना को रद्द करना:

- 'डॉ. किशन पाल बनाम पंजाब राज्य' (2006) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप पंजाब की 1975 की अधिसूचना को अमान्य कर दिया।

➤ पंजाब का प्रयास: 2006 अधिनियम

- पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 लागू किया, जिससे बाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए प्राथमिकताएँ फिर से शुरू हो गईं।
- उच्च न्यायालय ने उप-वर्गीकरण के खिलाफ अपना निर्णय अपरिवर्तित रखते हुए 2010 में इस प्रावधान को रद्द कर दिया।

➤ सुप्रीम कोर्ट रैफरल: 'दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य' (2014)

- वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के ई वी चिन्नेया फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए इस अपील को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया।
- इस दौरान कई संवैधानिक प्रावधानों और उप-वर्गीकरण की वैधता की आवश्यक जांच भी गई।

➤ पुनर्विचार: 2020 की संवैधानिक पीठ:

- न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 2020 की संवैधानिक पीठ ने कहा कि वर्ष 2004 के ई वी चिन्नेया फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के भीतर असमानताओं को स्वीकार करते हुए एक सजातीय अनुसूचित जाति समूह की धारणा को खारिज कर दिया गया।

➤ "क्रीमी लेयर" अवधारणा का परिचय:

- 2018 के बाद "क्रीमी लेयर" अवधारणा को अनुसूचित जाति आरक्षण पर लागू किया गया, जिसमें आय सीमा लगाई गई।
- राज्यों का तर्क है कि उप-वर्गीकरण क्रीमी लेयर फॉर्मूले को प्रतिबिंबित करता है, जो सबसे वंचित जातियों को अधिमन्य उपचार प्रदान करता है।

➤ वर्तमान स्थिति: सात जजों की बेंच:

- वर्तमान में सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है, जिसमें छोटी पीठ के फैसले को खारिज करने वाली बड़ी पीठ के अधिकार पर जोर दिया गया है।
- बाल्मीकि, मजहबी सिख, मडिगा, पासवान, जाटव और अरुंधतियार सहित विभिन्न जातियों पर उप-वर्गीकरण का संभावित प्रभाव देखा जा सकता है।

हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT)

संदर्भ: एमएनआरई ने घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 17,490 करोड़ रुपये का SIGHT कार्यक्रम शुरू किया है।

➤ साइट कार्यक्रम आवंटन:

- केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT) कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 17,490 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

➤ मोड-2बी कार्यान्वयन:

- एमएनआरई ने साइट योजना के लिए मोड-2बी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए मांग का एकत्रीकरण और नीलामी बोलियों का आग्रह शामिल है।

➤ किशत I विवरण:

- मोड 2बी की किशत I प्रति वर्ष 200,000 मिलियन टन की पर्याप्त बोली क्षमता प्रस्तुत करती है।

➤ निष्पादन निरीक्षण:

- इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा नामित एजेंसियों, मुख्य रूप से तेल और गैस कंपनियों को सौंपा गया है।
- उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) को सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने के लिए नामित किया गया है।

➤ तेल और गैस कंपनियों की योजनाएँ:

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्ष 2030 तक अपने 50% ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपनी विशाखापत्तनम रिफाइनरी में 370 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है।

➤ प्रोत्साहन मानदंड:

- इस योजना के प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बोलीदाताओं को एमएनआरई द्वारा अधिसूचित 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मानक' मानदंडों का पालन करना होगा।
- यह योजना उत्पादन और आपूर्ति दरों के आधार पर तीन वर्षों में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे: पहले वर्ष में 50 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे वर्ष में 40 रुपये प्रति किलोग्राम और तीसरे वर्ष में 30 रुपये प्रति किलोग्राम।

A Brief History of Backward Classes Reservations in India:

- The constitutional term for Other Backward Classes or OBC is **Socially and Economically Backward Classes or SEBC**.
- The benchmark for OBC affirmative action is 'class' and not 'caste'.

1955: First Backward Classes Commission Report (Kaka Kalekar Commission)- recommended caste enumeration in the 1961 census.

1980: Janata Party government-appointed Second Backward Classes Commission (Mandal Commission) submitted its report.

Commission extrapolated the OBC population to 52% from the last caste census from 1931.

1989: V P Singh government implements Mandal Commission Report.

1992: In the Indra Sawhney Case, the SC introduces the concept of creamy layer to exclude well-off among OBCs in the ambit of quota.

What is sub-categorisation of OBC?

- Creating sub-groups of backward castes within the OBC category.
- The objective is to ensure equitable distribution of the quota pie between haves and have-nots or the backward and most backward classes.

Sub-categorisation of OBCs in states:

1972: Karnataka CM Devraj Urs appoints Havanur Commission, its report formed the basis for the sub-categorisation of OBCs.

1977: Bihar CM Karpooi Thakur implements Mungeri Lal Commission report to divide OBCs into two categories: extremely backward classes (EBCs), and backward classes.

2002: Former UP CM Rajnath Singh appoints Hukam Singh committee to earmark 5% OBC quota for Yadavs and 14% for Most Backward Classes.

Sub-categorisation in the central OBCs list:

2017: The Modi government appoints a commission headed by Justice G Rohini to examine the sub-categorisation of OBCs.



2023: Rohini Commission submits its report to the President of India.

Terms of reference of the Rohini Commission:

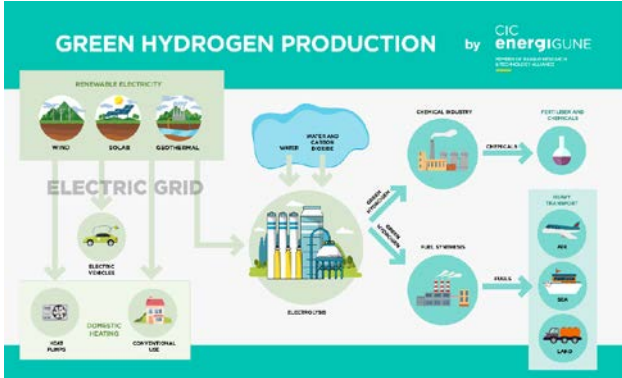
- To examine the inequitable distribution of reservation benefits among OBCs in the Central List.
- To work out the mechanism, criteria, norms and parameters in a scientific approach.
- To identify the respective castes and classify them into their respective sub-categories.

Face to Face Centres





20 January, 2024



बोली आवंटन प्रक्रिया:

- आवंटन प्रक्रिया सबसे कम कीमत की बोली लगाने वाले को प्राथमिकता देती है, इसके बाद बोली लगाने वालों को कुल उपलब्ध क्षमता समाप्त होने तक मूल्य के आरोही क्रम में उनकी स्वीकार्य क्षमता आवंटित की जाती है।

वित्तीय आवश्यकता:

- बोलीदाताओं को उद्भूत उत्पादन और आपूर्ति क्षमता के अनुसार प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये प्रति हजार मीट्रिक टन के बराबर या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति की आवश्यकता होती है।

निगरानी समिति:

- उद्योग विशेषज्ञों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिवों की सह-अध्यक्षता वाली एक योजना निगरानी समिति समय-समय पर कार्यान्वयन की स्थिति और प्रदर्शन की समीक्षा करेगी।
- इन समितियों को चुनौतियों का समाधान करने और योजना की सुचारू प्रगति को सुविधाजनक बनाने के उपायों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है।

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट:

- विश्व आर्थिक मंच की एक हालिया रिपोर्ट भारत में हरित हाइड्रोजन अपनाने के लिए जमीनी स्तर पर सीमित रुचियों और आवश्यकता को उजागर करती है।
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक पर्याप्त भूमि और जल संसाधनों से उत्पन्न होने वाले संभावित भूमि और जल संबंधी परिणाम के बारे में सावधानी बरती जानी चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल में एलएलएम के उपयोग हेतु डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश

संदर्भ: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने स्वास्थ्य देखभाल में बड़े मल्टी-मॉडल मॉडल (एलएलएम) के नैतिक उपयोग और प्रशासन पर एक दिशानिर्देश जारी किया है।

हेल्थकेयर में जेनरेटिव एआई:

- वर्तमान में तेजी से बढ़ती जेनरेटिव एआई तकनीक टेक्स्ट, वीडियो और छवि चित्रों जैसे विविध डेटा इनपुट को संसाधित करके स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा अनुसंधान में क्रांति ला रही है।
- चैटजीपीटी, बाई और बर्ट जैसे प्लेटफॉर्म पिछले वर्ष ही लॉन्च होने के बाद से सहज रूप से उपयोगी हो गए हैं।

एलएलएम को अपनाना

- बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम), जो मानव संचार की नकल करने और स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, अब तक के किसी भी अन्य उपभोक्ता तकनीक की तुलना में अधिक तेजी से अपनाए गए हैं।
- इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी उनके अभूतपूर्व कार्यक्षमता का उपयोग करना चाहती है।

लाभ और जोखिम:

- तेजी से अपनाए जाने के कारण एलएलएम से जुड़े लाभों और जोखिमों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य देखभाल में एलएलएम के अनुप्रयोग:

- डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य देखभाल में एलएलएम के पांच व्यापक अनुप्रयोगों की पहचान की है: निदान और नैदानिक देखभाल, रोगी-निर्देशित उपयोग, लिपिक और प्रशासनिक कार्य, चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और दवा विकास।

एलएलएम से जुड़े जोखिम

- अपने आशाजनक उपयोगों के बावजूद, एलएलएम भ्रामक, गलत, या पक्षपाती परिणामों को जन्म दे सकता है, जो स्वास्थ्य निर्णयों को दिगम्रित कर सकते हैं।
- इन मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा, प्रारंभिक गुणवत्ता या पूर्वाग्रह के मुद्दों से ग्रस्त हो सकता है, जो संभावित रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, पहचान या उम्र के आधार पर असमानताओं को कायम रख सकता है।

सहयोगात्मक दृष्टिकोण की वकालत:

- WHO एलएलएम विकास और उपयोग के सभी चरणों में सरकारों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, रोगियों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण का आह्वान करता है।

सरकार के लिए प्रमुख सिफारिशें:

- सरकार से नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए कंप्यूटिंग शक्ति और सार्वजनिक डेटासेट जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करने की सिफारिश की जा रही है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए, कि एलएलएम नैतिक दायित्वों और मानवाधिकार मानकों को पूरा करते हैं, इसे विनियमित करने के लिए आवश्यक कानूनों और विनियमों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग हेतु एलएलएम का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिए नियामक एजेंसियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पोस्ट-रिलीज ऑडिट और तत्संबंधी प्रभावी आकलन किया जाना चाहिए।

डैवलपर्स के लिए मार्गदर्शन:

- डैवलपर्स को एआई विकास के शुरुआती चरणों से संभावित उपयोगकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने की सलाह दी जाती है।
- एलएलएम को संभावित माध्यमिक परिणामों के संदर्भ में, आवश्यक सटीकता के साथ अच्छी तरह से परिभाषित कार्यों के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल में एआई के नैतिक उपयोग के लिए रोडमैप:

- डब्ल्यूएचओ का नया मार्गदर्शन एआई की जटिलताओं और नैतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य सेवा में एलएलएम की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है।
- यह पहल यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि एआई प्रौद्योगिकियां सार्वजनिक हित की सेवा करती हैं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में।

WHO के पिछले नैतिक सिद्धांत:

- WHO; स्वास्थ्य के लिए AI में नैतिक सिद्धांतों और उचित शासन को लागू करने के महत्व पर जोर देता है।
- डब्ल्यूएचओ द्वारा पहचाने गए छह मुख्य सिद्धांतों में स्वायत्तता की रक्षा करना, मानव कल्याण को बढ़ावा देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देना, समावेशिता और समानता सुनिश्चित करना तथा एआई को बढ़ावा देना शामिल है।

विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ रिपोर्ट:

- वर्ष 2024 की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ रिपोर्ट इस बात का उल्लेख करती है, कि यद्यपि जेनरेटिव एआई सहित एआई, श्रम बाजार को बदल देगा और उत्पादकता





20 January, 2024

बढ़ाएगा, लेकिन इसका प्रभाव समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता है, जिससे असमानताएं बढ़ेंगी।

- चैटजीपीटी जैसी प्रौद्योगिकियों के लॉन्च के बाद, शुरुआती अपनाने वालों से लेकर बड़े पैमाने पर बाजार में अपनाने की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव आया है।
- वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण में शामिल लगभग एक तिहाई कंपनियां चैटजीपीटी के लांच के छह महीने के भीतर नियमित रूप से जेनरेटिव एआई का उपयोग कर रही हैं।

➤ श्रम बाजार पर एआई का प्रभाव:

- रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है, कि एआई, विशेष रूप से जेनरेटिव एआई, देशों के भीतर और उनके बीच असमानताओं को बढ़ा सकता है।
- इससे कम-कुशल श्रमिकों की मांग कम हो सकती है और कम-कौशल-गहन आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर बंचित समूहों और निम्न-आय वाले देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

➤ रोजगार में विस्थापन:

- विश्व आर्थिक मंच की 2024 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट एआई-जनित दुष्प्रचार और भ्रामक सूचना को सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिमों में से एक के रूप में पहचानती है।

- ऐसे उपकरणों का व्यापक उपयोग नव निर्वाचित सरकारों की वैधता को कमजोर कर सकता है, खासकर आगामी चुनावों के संदर्भ में।

➤ एआई अधिनियम के साथ यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया:

- यूरोपीय संघ ने दिसंबर में एआई अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था, कि ईयू में उपयोग की जाने वाली एआई प्रणालियां सुरक्षित हैं और मौलिक अधिकारों सहित यूरोपीय संघ के मूल्यों (Values) का सम्मान करती हैं।
- यह विशेष रूप से यूरोपीय संघ के चुनावों के लिए प्रासंगिक है, जिन्हें 27 यूरोपीय संघ-राष्ट्रों के सामूहिक मतदान के कारण विशिष्ट रूप से संवेदनशील माना जाता है।

➤ विघटनकर्ता के रूप में क्वांटम कंप्यूटिंग:

- एआई के साथ-साथ, यह रिपोर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग को संभावित व्यवधान के रूप में भी वर्गीकृत करती है।
- यह विभिन्न सुरक्षा चिंताओं को उजागर करता है, जहां अपराधी उन्नत क्वांटम कंप्यूटरों के साथ-साथ डिफ्रिक्शन के लिए एन्क्रिप्टेड डेटा एकत्र करते हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार



भारत के राष्ट्रपति 22 जनवरी, 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में असाधारण बच्चों को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2024 से सम्मानित करेंगे।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में:

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है।
- पुरस्कार की दो श्रेणियां हैं: बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार।
- यह नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति, खेल और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में 5-18 वर्ष की आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2024 देश के सभी क्षेत्रों से चुने गए 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाएगा।
- पुरस्कार विजेताओं में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1,00,000 रुपये नकद पुरस्कार, 10,000 रुपये के पुस्तक वाउचर, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

नंजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य



हाल ही में, यूरोपियन विजियन, म्लोसी इबिस, ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट, पाइड किंगफिशर, रेड-वॉटल्ड लैपविंग और वुड सैंडपाइपर सहित दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का एक झुंड तिरुप्पुर के नंजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य में देखा गया है।

नंजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य के बारे में:

- नंजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य पश्चिमी तमिलनाडु में तिरुप्पुर के बाहरी इलाके में स्थित है।
- सितंबर 2022 में इसे तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया।
- अभयारण्य को स्थानीय तौर पर सरकार पेरियापलायम टैंक के नाम से जाना जाता है।
- यूरोपियन विजियन (मारेका पेनेलोप) और रूडी शेलडक (टैडोर्ना फेरुगिनिया) को भी हाल ही में देखा गया।
- उत्तरी शॉवेलर, उत्तरी पिंटेल, गार्गेनी, कॉमन टील और बार-हेडेड गीज जैसी बतखें सर्दियों के दौरान आती हैं।
- देशी पक्षी प्रजातियों में स्पॉट-बिल्ड पेलिकन, पेंटेड स्टॉर्क, ग्रे हेरॉन, पर्पल हेरॉन और विभिन्न प्रकार के जलकाग, एग्रेट्स, बतख और ग्रेब्स शामिल हैं।
- सर्दियों के दौरान हाउस स्पर्रो, येलो-वागटेल, ब्लू-टेल्ड बी-ईटर, कॉमन कूकू और रोजी स्टारलिंग जैसे स्थलीय पक्षी भी टैंक के चारों ओर झुंड में आते हैं।

विंग्स इंडिया अवार्ड्स



हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नागरिक उड्डयन क्षेत्र में "विंग्स इंडिया अवार्ड्स" के चौथे संस्करण में बैंगलोर और दिल्ली हवाई अड्डों ने संयुक्त रूप से वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता।

विंग्स इंडिया अवार्ड्स के बारे में:

- विंग्स इंडिया अवार्ड्स विमानन क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचार का प्रदर्शन करने वालों के लिए उत्कृष्टता का मानक है।
- यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रथाओं और नवाचार का प्रदर्शन किया है।
- 2024 विंग्स इंडिया अवार्ड्स केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए।
- यह कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- कार्यक्रम का विषय था "अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना: भारतीय नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना"।

Face to Face Centres





20 January, 2024

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड



हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने की अपनी योजना को फरवरी तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में:

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स) भारतीय उपमहाद्वीप का एक स्थानिक स्थलीय पक्षी है।
- यह दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जिनमें मालधोक, येरभूत, घोराद और गोडावन शामिल हैं।
- यह सूखे घास के मैदानों और झाड़ियों में रहता है इसकी सबसे बड़ी आबादी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है।
- यह लगभग एक मीटर लंबा होता है, जिसके सिर पर काली टोपी, गर्दन और भूरे रंग का शरीर होता है जिसमें सफेद धब्बे वाला काला पैच होता है।
- नर गहरे रंग के होते हैं और प्रजनन काल के दौरान उनके स्तन पर काली पट्टी होती है।
- पक्षी का शरीर क्षैतिज और लंबे पैर होते हैं जिससे यह शूतुरमुर्ग जैसा दिखता है।
- विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार, दुनिया में केवल 200 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं।

गंगा डॉल्फिन



हाल ही में, ओडिशा के बालासोर जिले में जालका नदी में एक मछुआरे द्वारा पकड़ी गई एक दुर्लभ गंगा डॉल्फिन को अब वन विभाग द्वारा संरक्षण के लिए बुद्धबलंग नदी में छोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
गंगा डॉल्फिन के बारे में:

- गंगा नदी डॉल्फिन (प्लेटिनिस्टा गेंगेटिका) मीठे पानी की डॉल्फिन की एक प्रजाति है जिसे कानूनी रूप से सभी देशों में संरक्षित किया जाता है जहां यह पाई जाती है।
- यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कार्नफुली-संघू नदी प्रणालियों में पाई जाती है।
- इसे अंधी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा सुसु और दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है।
- इसे "गंगा का बाघ" भी कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
- इसके लंबे पतले थूथन, गोल पेट, मोटा शरीर और बड़े फ्लिपर्स होते हैं।
- 2021 में भारतीय सरकार ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया था।
- इसे आईयूसीएन द्वारा संकटग्रस्त जीव का दर्जा प्राप्त है, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के तहत अनुसूची-1 में संरक्षण दिया गया है, और इसे सीआईटीई के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किया गया है।

पनामा नहर

पनामा नहर पिछले साल शुरू हुए भयंकर सूखे से प्रभावित हुई है जिसके कारण हाल ही में अधिकारियों को पनामा नहर में जहाजों के क्रॉसिंग को 36 प्रतिशत तक कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।



पनामा नहर के बारे में:

- पनामा नहर दुनिया के दो सबसे रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है (दूसरा स्वेज नहर है)।
- यह अटलांटिक (कैरेबियन सागर) और प्रशांत महासागरों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करता है तथा उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है।
- इसे विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त तथा यह नहर अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पारगमन को सुगम बनाती है।
- प्रारंभ में 1914 में खोली गई यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष नियंत्रण में थी।
- 1999 में, पनामा नहर का नियंत्रण आधिकारिक रूप से पनामा को हस्तांतरित कर दिया गया, जो शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

Face to Face Centres





20 January, 2024

सुर्खियों में स्थल

युगांडा

हाल ही में युगांडा के कंपाला में दो दिवसीय 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है जिसमें भारत के विदेश मंत्री भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।



युगांडा (राजधानी: कंपाला)

अवस्थिति: युगांडा एक भुआबद्ध देश है, जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है।

राजनीतिक सीमाएँ: युगांडा की सीमा केन्या (पूर्व), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (पश्चिम), दक्षिण सूडान (उत्तर), तंजानिया (दक्षिण) और रवांडा (दक्षिण पश्चिम) के साथ लगती है।

भौतिक विशेषताएँ:

- रवेनज़ोरी पर्वत श्रृंखला में युगांडा की सबसे ऊँची चोटी है, जिसका नाम एलेक्जेंड्रा है।
- देश के दक्षिण का अधिकांश भाग दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक विक्टोरिया झील से काफी प्रभावित है जिसमें कई द्वीप शामिल हैं।
- बिबिडी इंपेनेट्रेबल नेशनल पार्क और रवेनज़ोरी पर्वत राष्ट्रीय पार्क (दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)।

POINTS TO PONDER

- भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बिहार के बाद 'जाति जनगणना' करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? - **आंध्र प्रदेश**
- अयोध्या में राम मंदिर किस स्थापत्य शैली में बनाया जा रहा है? - **नागर शैली**
- हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के हिस्से के रूप में हरित हाइड्रोजन की खरीद को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश और प्रोत्साहन के प्रावधान जारी किए हैं? - **केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)**
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में संशोधन के माध्यम से संसद के एक अधिनियम द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड (यूएसओएफ) की स्थापना कब की गई थी? - **दिसंबर 2003**
- हाल ही में खोजे गए आइसोपोड जानवरों के किस बड़े समूह से संबंधित हैं? - **क्रस्टेशियंस (Crustaceans)**

Face to Face Centres

